न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 55/18 GCMS NO 2018/00257

दुर्गालाल पुत्र श्योबक्श जाति पूर्विया निवासी कैमला तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रमेश चंद पुत्र दुर्गालाल
2. रामचरण पुत्र दुर्गालाल जातियान पूर्वियां निवासीयान कैमला तहसील नादौती जिला करौली
3. तहसीलदार नादौती लैण्ड होल्डर

रेस्पो०

अपील विरूद्व मु०नं० 358/88 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.89 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला० श्री पी०एल०गोयल

अभिभाषक रैस्पो० श्री बनवारी लाल

दिनांक 18.07.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.89 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादीगण द्वारा एक वाद घोषणा खातेदारी व भूमि विभाजन इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सगे भाई है तथा प्रतिवादी न० 1 वादी न० 1 व प्रतिवादी न० 2 का पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे भूमि ख०न० 78,129,150 व 151 वाके ग्राम कैमला मे स्थित है। जो प्रतिवादी न० 1 की पैतृक सम्पति है। इस भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिन्दु विधि के अनुसार बराबर का हिस्सा है। वादी का उक्त आराजीयात मे 1/3 हिस्सा है। वादी का उक्त आराजीयात मे 1/3 हिस्सा होता है। अब तक वादी एवं प्रतिवादीगण शामिल रहकर उपरोक्त भूमि से लाभान्वित होते चले आ रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण न० 1 व 2 ने साजकर वादी को अलग कर दिया है व उसको 1/3 हिस्सा की भूमि भी नही दी है। वादी के पास कृषि के अलावा अन्य कोई आजिविका का साधन नही है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इस प्रकार वादी अपने हक मे विवादित आराजीयात का 1/3 भाग की घोषणा खातेदारी की करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही गई। दौराने दावा वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 10.8.89 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 9 नियम 7 जा०दी०पेश कर एक तरफा कार्यवाही दिनांक 4.4.89 को हटाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनरथ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनरथ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि ख0न0 78,129,150 व 151 जो कि अपीलांट की खातेदारी प्रारंभ से रही है, उसके पैतृक सम्पति होने के संबंध मे वादी/रेस्पो0 न0 1 द्वारा कोई जमाबंदी पेश नही की ,मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति के उपरान्त भी भूमि को पैतृक मानकर वादी/रेस्पो0 न0 1 का दावा खिलाफ कानून डिक्री किया है। विवादित भूमि के पैतृक होने बाबत कोई दस्तावेजी सबूत अर्थात अपीलांट की खातेदारी से पूर्व अपीलांटके पिता की खातेदारी होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही होने के उपरान्त भी महज वादी/रेस्पो0 न0 1 के अभिवचन पर विश्वास कर दावा वादी डिक्री किया है। अपीलांट अनपढ व अंगूठा वाला व्यक्ति है जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पो0 1 व 2 द्वारा खिलाफ कानून अपीलांट से उसकी इच्छा के विरूद्व उसके अनपढ होने का फायदा उठाकर जबाब दावे मे इकवाल कराया,जिसकी कानूनन कोई अहमियत नही है क्योकि विवादित भूमि कभी भी अपीलांट की पैतृक भूमि नही रही और ना ही अपीलांट को उक्त भूमि विरासत मे प्राप्त हुई और ना ही विवादित सम्पति के पैतृक होने का कोई रिकार्ड पत्रावली पर पेश हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यो को अनदेखा कर दावा डिक्री किया है। जो निरस्त योग्य है। सम्पूर्ण दावा हाजा मे वादी/रेस्पो0 1 ने यह कही नही बताया है कि विवादित सम्पति किस प्रकार से पैतृक है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने महज वादी के वेग अभिवचन पर विश्वास कर खिलाफ कानून निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। दावा हाजा मे घोषणा के लिए कोई विनायदावा वादी/रेस्पो0 न0 1 द्वारा दर्ज नही किया है केवल बंटवारे का विनायदावा दर्ज है। ऐसी सूरत मे घोषणा की दादरसी हेतु दावा हाजा मे विनाय दावा के अभाव मे दावा कानूनन पोषणीय नही था, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजर अंदाज किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावा हाजा मे दिनांक 27.12.89 को अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 व रेस्पो0/प्रतिवादी न0 2 की एक तरफा कार्यवाही मसूख कर प्रकरण मे मुताबिक कानून बिना साक्ष्य लिए ही निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 न0 1 ने दावा हाजा मे अपनी खास बहिनें अर्थात अपीलांट की तीनो पुत्रियो को पक्षकार नही बनाया है इसलिए दावा हाज कानूनन नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के नुक्स के आधार पर पोषणीय नही था। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दू को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट के अत्यधिक बुजुर्ग होने तथा शारीरिक रूप से कोई कार्य /काश्त नही करने मे असक्षम होने पर अपने बुढापे की देखभाल हेतु पैसो की आवश्यकता होने पर व उसके दोनो लडको द्वारा उसकी देखभाल नही करने पर उसने अपनी भूमि के विक्रय हेतु जमाबंदी की नकल पटवारी से दिनांक 16.2.18 को लेने पर भूमि की [illegible] उक्त भूमि उसके लडके रेस्पो0 1 व 2 के नाम होने की जानकारी हुई। जिस पर कानूनी सलाह व जानकारी करने पर दावा को रेस्पो0 न0 1 द्वारा गलत रूप से डिक्री कराने की जानकारी का पता चला। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Baldt
Date: 2026.04.16 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इल्म की अवधि मे अपील अन्दर मियाद पेश की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी मे भूमि ख0न0 78,129,150 व 151 वाके ग्राम कैमला मे स्थित है। जो रेस्पो0 न0 1 की पैतृक सम्पति है। इस भूमि का रेस्पो0 के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई संबंध वास्ता नही है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दावे मे गांव वालो के समक्ष पक्षकारान के मध्य आपसी समझोता होने पर समझोते के अनुसार मौके पर बंटवारा किया जा चुका था। जिसके अनुसार ख0न0 78 रकबा 2.44 व ख0न0 151 रकबा 1.35 है0 वादी के हक मे आया था तथा ख0न0 129 रकबा 3.71 है0 प्रतिवादी न0 2 रामचरण के हक मे एवं ख0न0 150 रकबा 4.82 है0 प्रतिवादी न0 2 अपीलांट दुर्गा के हक मे आया था। इस प्रकार कागजात सरकार मे उभयपक्ष को कोई आपत्ति नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी समझौते के अनुसार वादी का वाद पत्र विधि अनुसार डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व लगभग 28 वर्ष पश्चात पेश की गई है। जो प्रारंभतः मियाद बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आपसी समझोते से दावा डिक्री होने के विरूद्व पेश की गई जो कानून चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि ख0न0 78,129,150 व 151 वाके ग्राम केमला मे स्थित है। जिसे वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे पैतृक सम्पति माना है। प्रस्तुत दावे मे भी विवादित भूमि के अपीलांट व रेस्पो0 को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का बंटवारा चाहा गया था। उभयपक्ष द्वारा गांव वालो के समझाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 78 रकबा 2.44 व ख0न0 151 रकबा 1.35 है0 वादी रमेश चंद पुत्र दुर्गालाल के हक मे तथा ख0न0 129 रकबा 3.71 है0 प्रतिवादी न0 2 रामचरण के हक मे एवं ख0न0 150 रकबा 4.82 है0 प्रतिवादी न0 2 अपीलांट दुर्गा के हक मे डिक्री किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये गये थे। उभयपक्ष आपस मे एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात को रेस्पो/वादी द्वारा अपीलांट को गुमराह कर अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से अगूठा निशानी करवाकर वाद पत्र को डिक्री कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा आपसी सहमति से किया गया है उसमे भूमि का वर्गीकरण बराबर नही किया गया है ना किसी प्रकार की साक्ष्य सबूत वाद पत्र मे ली गई है। अतः अपीलांट की अपील अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:53 IST
Reason: Self Attested

अतःअपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 358/88 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.89

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विवादित भूमि वादी की पैतृक होने के संबंध मे विस्तृत जॉच करने के उपरान्त पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.8.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested